आवश्यक
नगरपालिका उप चुनाव, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न0नि0 50-36/2017- 17

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,
पटना, मगध (गया), सारण, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), दरभंगा, कोशी (सहरसा) एवं पूर्णियाँ।
जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया।

पटना, दिनांक – 3.1.24

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 – बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 एवं 444 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान एवं मतगणना दलों के गठन प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2987 दिनांक 02.08.2022 (पत्र संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत निदेश देये गये थे।

उक्त पत्र के आलोक में नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 के अवसर पर भी मतदान दल एवं मतगणना दल का गठन एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-

(क) **नगरपालिका उप निर्वाचन** जिसमें सभी तीन पदों का निर्वाचन किसी मतदान केन्द्र पर नहीं होना है इसलिए मतदान दल में पारम्परिक रूप से नियुक्त किये जाने वाले तरीके से यथा – पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी-1, मतदान पदाधिकारी-2, मतदान पदाधिकारी-3A तथा मतदान पदाधिकारी - 3B के अनुसार मतदान दल का गठन किया जाय। जिला में कार्यरत तकनीकी कर्मियों को ही मतदान पदाधिकारी -3B के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जिनके द्वारा मतदान के दिन से संबंधित `मतदान दिवस एप्प` का संचालन तथा मतदाता का सत्यापन हेतु मतदाता का फोटोग्राफी का कार्य किया जायेगा।

(ख) मतदान केन्द्र पर वैसे तकनीकी कर्मी को प्राथमिकता दी जाय जिनका कार्य पूर्व के निर्वाचन में सराहनीय रहा है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाये एवं तत्संबंधी निदेश से निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

03/01/24

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-36/2017- 17 पटना, दिनांक – 3.1.24

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

03/01/24

सचिव।

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 17 पटना, दिनांक - 3.1.24

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार मिश्रा, उप महानिदेशक-सह-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी , एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/24

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-36/2017- 17 पटना, दिनांक – 3.1.24

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/24

सचिव।